रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 343] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 1980/श्रावण 1, 1902

No. 343] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 1980/SRAVANA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1980

का० आ० 561 (अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ पचासीवां संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) वे तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा), की प्रथम अनुसूची में,—

(क) प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"1. कृषि मंत्रालय

(i) कृषि और सहकारिता विभाग।

(ii) खाद्य विभाग।

(iii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग।";

(ख) प्रविष्टि 1 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"1क. नागरिक पूर्ति मंत्रालय।";

(ग) प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"2. वाणिज्य मंत्रालय :

(i) वाणिज्य विभाग।

(ii) वस्त्र विभाग।";

(घ) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"6. ऊर्जा मंत्रालय :

(i) कोयला विभाग।

(ii) विद्युत विभाग।";

(ङ) प्रविष्टि 12 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"12क. सिंचाई मंत्रालय।";

(च) प्रविष्टि 20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"20. इस्पात और खान मंत्रालय :

(i) इस्पात विभाग।

(ii) खान विभाग।";

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) (i) शीर्षक "कृषि और सिंचाई मंत्रालय" के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"कृषि मंत्रालय।";

(ii) उपशीर्षक "क. कृषि और सहकारिता विभाग" के अंतर्गत, भाग IV में, प्रविष्टि 43 नीचे लिखे अनुसार होगी :

"43. कृषि और उद्यान कृषि ।";

(iii) उप-शीर्षक "घ. सिंचाई विभाग" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपशीर्षक "ग. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

"नागरिक पूर्ति मंत्रालय

I. आंतरिक व्यापार

1. आंतरिक व्यापार ।
2. अन्तर्राज्यिक व्यापार; स्पिरिटयुक्त निर्मितियां (अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 ।
3. वायदा बाजार का नियंत्रण [अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952] ।
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमतें और वितरण, जो विनिर्दिष्टतः किसी अन्य मंत्रालय द्वारा व्यवहृत नहीं है)।
5. उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं ।
6. लोक वितरण प्रणाली ।
7. कीमतों का परिवीक्षण और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता।
8. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ।
9. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन ।
10. कानूनी माप-विद्या में प्रशिक्षण ।
11. वे उद्योग, जिनके लिए संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, जहां तक वे वनस्पति घी, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा से सम्बद्ध है ।
12. वनस्पति घी, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा का अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य, उनका मूल्य-नियंत्रण, पूर्ति और वितरण ।
13. वनस्पति घी, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय ।

II. व्यापार चिह्न आदि

14. व्यापार और वाणिज्य चिह्न अधिनियम, 1958 ।
15. संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 ।
16. बाट और माप मानक (बाट और माप मानक अधिनियम, 1956--बाट और माप मानक अधिनियम, 1976) ।
17. भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 ।
18. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन, जिसमें फारवर्ड मार्केट्स् कमीशन, बम्बई भी सम्मिलित है ।

(ग) (i) शीर्षक "वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:--

"वाणिज्य मंत्रालय ।";

(ii) उप-शीर्षक "ख. नागरिक पूर्ति विभाग" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iii) उप-शीर्षक "ग. वस्त्र विभाग" के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:--

"क. वस्त्र विभाग ।";

(घ) उप-शीर्षक और शीर्षक "ऊर्जा मंत्रालय" के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

"क. कोयला विभाग

1. भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के निक्षेपों का अन्वेषण और विकास ।
2. कोयले के उत्पादन, पूर्ति, वितरण और कीमतों से संबंधित सभी मामले ।
3. इस्पात विभाग जिनके लिए जिम्मेदार है उनसे भिन्न कोयला खानों का विकास और संचालन ।
4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन ।
5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 का प्रशासन ।
6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।
7. कोयला खान कल्याण संगठन ।
8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन ।
9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन ।
10. कोयला-धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 का प्रशासन ।
11. कोयले और लिग्नाइट से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उद्यम ।
12. केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद ।
13. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा अन्य केन्द्रीय कानूनों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और कानूनों का सम्बन्ध कोयला और लिग्नाइट और भरणार्थ बालू से है, इस प्रकार के प्रशासन से प्रसंगवश कार्य जिसमें विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित प्रश्न शामिल हैं ।"

"ख. विद्युत विभाग

1. ऊर्जा के क्षेत्र में साधारण नीति ।
2. अनुसंधान, विकास, तकनीकी सहायता और जल-विद्युत और उष्मीय शक्ति से सम्बन्धित सभी मामले ।
3. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 का प्रशासन ।
4. विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का प्रशासन ।
5. केन्द्रीय विद्युत बोर्ड ।
6. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ।
7. संघ राज्य-क्षेत्रों में विद्युत स्कीमें ।
8. दामोदर घाटी निगम ।
9. दि नेशनल प्रोजेक्टस कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड ।
10. भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड और व्यास परियोजना (सिंचाई से संबंधित मामलों को छोड़कर) ।"

(ङ) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 77 का लोप किया जाएगा ;

(च) "सूचना और प्रसारण मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

"सिंचाई मंत्रालय

1. लघु और आपत्कालिक सिंचाई कार्यों, नलकूपों और भौम जल अन्वेषण सहित सिंचाई, कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जलग्रस्तता-रोध, जलनिकास और समुद्री कटाव

रोध से संबंधित सामान्य नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान और सभी मामले ।

2. अन्तर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास ।

3. नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 का प्रशासन ।

4. अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 का प्रशासन ।

5. केन्द्रीय जल आयोग ।

6. केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ।

7. फरक्का बराज परियोजना ।

8. सिंधु जल संधि, 1960 ।

9. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग और सम्मेलन ।

10. संघ राज्य-क्षेत्रों में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण स्कीमें ।

11. जल और विद्युत परामर्श सेवा (ज० वि० प० से०) ।

(छ) "विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, उप-शीर्षक "ग. न्याय विभाग" के अधीन, प्रविष्टि 9 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--

"10. किसी संघ राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार या किसी संघ राज्य क्षेत्र का किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता से अपवर्जन ।" ;

(ज) "समाज कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 24 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात्:--

"24. राष्ट्रीय लोक सहयोग तथा शिशु विकास संस्थान ।";

(झ) (क) "इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:--

"इस्पात और खान मंत्रालय" ;

(ख) "ग. कोयला विभाग" उप-शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ञ) "परमाणु ऊर्जा विभाग" शीर्षक के अंतर्गत--

(i) प्रविष्टि 1 में, उप प्रविष्टि (iv) (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(iv) (घ) निम्नलिखित के लिए विविधरूपण सहित सुविधाओं और संयंत्रों की स्थापना और संचियण:--

(i) परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान और उसके उपयोग के लिए तथा न्यूक्लीय विज्ञानों में अनुसंधान के लिए अपेक्षित सामग्री और उपस्कर के उत्पादन के लिए,

(ii) समस्थानिकों के पृथक्करण के लिए, जिसमें मुख्य या गौण उत्पाद के रूप में भारी पानी के उत्पादन सहित उपोत्पाद के रूप में समस्थानिकों के पृथक्करण के लिए अनुकूलनीय संयंत्र शामिल हैं ।;

(ii) प्रविष्टि 1 में, उप-प्रविष्टि (v) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--

"(v) विहित या रेडियो-ऐक्टिव पदार्थों से संबंधित राज्य उपक्रमों का पर्यवेक्षण जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:--

(क) इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड ;

(ख) × × ×

(ग) नैशनल फर्टिलाइजर लि०, जहां तक भारी पानी के उत्पादन का संबंध है ।

(घ) इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (ई सी आई एल);

(ङ) यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (यू सी आई एल)

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं० 74/3/9/80-मंत्रि०]

के० सहगल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 1980

S.O. 561(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and forty-fourth Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules), in the First Schedule :—

(a) for entry 1, the following entry shall be substituted, namely :—

"1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya) :

(i) Department of Agriculture and Cooperation (Krishi aur Sahkarita Vibhag).

(ii) Department of Food (Khadya Vibhag).

(iii) Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).";

(b) After entry 1, the following entry shall be inserted, namely :—

"1A. Ministry of Civil Supplies (Nagrik Poorti Mantralaya).";

(c) for entry 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"2. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya) :

(i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag).

(ii) Department of Textiles (Vastr Vibhag).";

(d) for entry 6, the following entry shall be substituted, namely :—

"6. Ministry of Energy (Oorja Mantralaya) :

(i) Department of Coal (Koyala Vibhag).

(ii) Department of Power (Vidyut Vibhag).";

(e) after entry 12, the following entry shall be inserted, namely :—

"12. Ministry of Irrigation (Sinchai Mantralaya).";

(f) for entry 20, the following entry shall be substituted, namely :—

"20. Ministry of Steel and Mines (Ispat aur Khan Mantralaya) :

(i) Department of Steel (Ispat Vibhag).

(ii) Department of Mines (Khan Vibhag).";

3. In the Second Schedule to the said rules,—

(a) (i) for the heading "Ministry of Agriculture and Irrigation (Krishi Aur Sinchai Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely :—

"Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya).";

(ii) under the sub-heading "A. Department of Agriculture and Cooperation (Krishi Aur Sahkarita Vibhag)", in Part IV, entry 43 shall be as under :

"43. Agriculture and horticulture.";

(iii) the sub-heading "D. Department of Irrigation (Sinchai Vibhag)" and the entries thereunder shall be omitted;

(b) after the sub-heading "C. Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan Aur Shiksha Vibhag)" and the entries thereunder, the

following heading and entries shall be inserted, namely :-

"MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI MANTRALAYA)

I. Internal Trade

1. Internal Trade.
2. Inter-State Trade; the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955.
3. Control of future trading [The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952].
4. The Essential Commodities Act, 1955 (Supply, prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry).
5. Consumer Cooperatives.
6. Public Distribution System.
7. Monitoring of prices and availability of essential commodities.
8. The National Consumer Protection Council.
9. Regulation of packaged Commodities.
10. Training in legal Metrology.
11. Industries, the Control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.
12. Price control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.
13. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats

II. Trade Marks etc.

14. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958.
15. The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.
10. Standards of Weights and Measures (The Standards of Weights and Measures Act, 1956—The Standards of Weights and Measures Act, 1976).
17. The Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952.
18. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.";

(c) (i) for the heading "Ministry of Commerce and Civil Supplies (Vanijya Aur Nagrik Poorti Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely:—

"Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya).";

(ii) the sub-heading "B. Department of Civil Supplies (Nagrik Poorti Vibhag)" and the entries thereunder shall be omitted;

(iii) for the sub-heading "C. Department of Textiles (Vastr Vibhag) the following sub-heading shall be substituted namely :—

"B. Department of Textiles (Vastr Vibhag).";

(d) for the sub-heading and entries under the heading Ministry of Energy (Oorja Mantralaya)", the following sub-headings and entries shall be substituted, namely :—

"A. DEPARTMENT OF COAL (KOYALA VIBHAG)

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.
2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.
3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.
4. Low temperature Carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.
5. Administration of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974.
6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.
7. The Coal Mines Welfare Organisation.
8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948 (46 of 1948).
9. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).
10. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957.
11. Public sector enterprises dealing with coal and lignite.
12. Central Fuel Research Institute, Dhanbad.
13. Administration of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and other Union Laws in so far as the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing; business incidental to such administration including question concerning various States.

B. DEPARTMENT OF POWER

(VIDYUT VIBHAG)

1. General policy in the field of energy.
2. Research, development, technical assistance and all matters relating to hydro-electric and thermal power
3. Administration of Indian Electricity Act, 1910.
4. Administration of Electricity (Supply) Act, 1948.
5. Central Electricity Board.
6. Central Electricity Authority.
7. Power Schehmes in Union Territories.
8. The Damodar Valley Corporation.
9. National Projects Construction Corporation Limited.
10. Bhakra Management Board and Beas Project (except matters relating to irrigation).";

(e) under the heading "Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)", entry 77 shall be omitted;

(f) after the heading "Ministry of Information and Broadcasting (Soochana Aur Prasaran Mantralaya)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted namely :—

"MINISTRY OF IRRIGATION

(SINCHAI MANTRALAYA)

1. General Policy, technical assistance, research and all matters relating to irrigation including minor and emergency irrigation works, tubewells and ground water exploration, irrigation for agricultural purposes, flood control, anti-water logging, drainage and anti-sea erosion.
2. Regulation and development of inter-state rivers and river-valleys.
3. Administration of the River Boards Act, 1956.
4. Administration of the Inter-State Water Disputes Act, 1956.
5. Central Water Commission.
6. Central Flood Control Board.
7. Farraka Barrage Project.
8. Indus Water Treaty, 1960.
9. International Commissions and Conferences relating to irrigation and flood control.

10. Irrigation and Flood Control Schemes in Union Territories.

11. Water and Power Consultancy Service (WAPCOS)";

(g) under the heading "Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Vidhi, Nyaya Aur Kampani Karya Mantralaya)", under the sub-heading "C. Department of Justice (Nyaya Vibhag)", after entry 9, the following entry shall be inserted, namely :—

"10. Extension of the jurisdiction of a High Court to a Union Territory or exclusion of a Union Territory from the jurisdiction of a High Court.";

(h) under the heading "Ministry of Social Welfare (Samaj Kalyan Mantralaya)" for entry 24, the following entry shall be substituted namely :—

"24. National Institute of Public Cooperation and Child Development.";

(i) (a) for the heading "Ministry of Steel, Mines and Coal (Ispat, Khan Aur Koyala Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely :—

"Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya)";

(b) the sub-heading "C. Department of Coal (Koyala Vibhag)" and the entries thereunder shall be omitted;

(j) under the heading "Department of Atomic Energy (Parmanu Ooorja Vibhag)"—

(i) in entry 1, for sub-entry (iv) (d), the following sub-entry shall be substituted, namely :—

"(iv) (d) establishment and operation of facilities and plants including diversification—

(i) for the production of materials and equipment required for research into and the use of atomic energy and for research in the nuclear sciences;

(ii) for the separation of isotopes, including plants adaptable to the separation of isotopes as by-product including the production of heavy water as a main or subsidiary product.";

(ii) in entry 1, for sub-entry (v), the following sub-entry shall be substituted, namely :—

"(v) Supervision of State undertakings concerned with prescribed or radio-active substances, including—

(a) Indian Rare Earths Ltd.

(b) * * * * * *

(c) National Fertilizers Ltd. in so far as production of heavy water is concerned.

(d) Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL)

(e) Uranium Corporation of India Ltd. (UCIL)."

N. SANJIVA REDDY, President

[No. 74/3/9/80-Cab.]

K. SAIGAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1980